ज.ने.कृ.वि.वि.

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

जवाहर रावी

क.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कार्यक्रम केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए है?	हॉ, यह केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के स्टार्ट–अप्स के लिए है। कोई भी नया विचार जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान होता हो इसके दायरे में आते हैं।
2	क्या दोनों कार्यक्रमों में नामांकन के लिए कोई न्यूनतम योग्यता मानदंड है?	नहीं, कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। सभी उद्यमि आवेदकों के लिए कार्यक्रम खुला है।
3	क्या आवेदक के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा है?	अधिकतम आयु सीमा नहीं है। परंतु आवेदक नाबालिग नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं हो।
4	क्या दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है?	हॉ, प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा है और इसमें भाग लेना भी अनिवार्य है।
5	क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टार्टअप के मालिक का भाग लेना अनिवार्य है या उसके स्थान पर कोई अन्य टीम का सदस्य भाग ले सकता है?	संस्थापक या उनके कोर टीम के सदस्यों में से कोई भी प्रशिक्षण में भाग ले सकता है। परंतु यह सुझाव है कि संस्थापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें।
6	फंडिंग प्रकिया क्या होगी?	दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, जवाहर राबी वित पोषण के लिए चयनित स्टार्टअप के प्रस्ताव को आर.केव्ही.वाय विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजेगा।
7	क्या केवल नए विचार आमंत्रित है?	कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कोई भी विचार/उद्यम जो स्टार्टअप की डी.आई.पी.पी.* परिभाषा को संतुष्ट करता है, आवेदन करने के लिए पात्र है।
8	किस तरीके से स्टाइफंड प्रदान किया जाएगा (चेक/नगद/सीधे खाते में)	यह प्रतिभागी के नाम पर चेक या एन ई एफ टी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
9	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान क्या होगा?	प्रशिक्षण कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर में होगा।
10	कार्यक्रम के तहत वित्त का स्त्रोत क्या होगा?	चयनित स्टार्ट–अप्स और एग्रीप्रोन्योर के लिए अनुदान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से आर.के.व्ही.वाय विभाग के माध्यम से आएगा।
11	स्टार्ट–अप की परिभाषा क्या है?	हम इस कार्यक्रम के लिए डी.आई.पी.पी.** द्वारा दी गई स्टार्टअप की परिभाषा को मानते हैं।
12	क्या क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा?	प्रशिक्षण हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाएगा।
13	क्या स्टार्टअप जो पंजीकृत नहीं है लेकिन परिचालन में है, भाग ले सकता है?	हां, वे भाग ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें धन के लिए पात्र होने के लिए पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
14	क्या कार्यक्रम केवल कृषि की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए है?	किसी भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आवेदक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसका!उसकी परियोजना के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र होना चाहिए।

15	सहायता अनुदान के लिए चयनित होने के क्या मानदंड है?	ऐसे प्रतिभागियों को चयनित किया जायेगा जिन्होने दो माह की अवधि में अपने विचारों/परियोजना में कुछ वृद्धि दिखाई है और ए.बी.आई की आंतरिक समिति के मापदण्डों पर खड़े हो सकेंगें।
16	जिस व्यक्ति ने ऐसा प्रशिक्षण पहले भी लिया हो, क्या यह दो माह का प्रशिक्षण उनके लिए भी, अनिवार्य है?	हॉं, दो माह के प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।
17	क्या आवेदक को वित्तीय सहायता के रूप में परियोजना लागत का 100 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी?	एग्रीप्रेन्योरशिप ओरएंटेशन प्रोग्राम के तहत चयनित आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम रू. 5 लाख) प्राप्त होगा, जबकि स्टार्टअप एग्री–बिजनेस इन्क्यूबेशन प्रोगराम के तहत चयनित आवेदकों को वित्तीय सहायता (अधिकतम 25 लाख रूपये) के रूप में परियोजना लागत का 85 प्रतिशत प्राप्त होगा।
18	फंड वितरण के चरण क्या होगें?	फंड 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के तीन चरणों में चयनित स्टार्टअप को वितरित किया जाएगा।

* औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार

** **स्टार्टअप की परिभाषा** – कोई भी उद्यमि पंजीयन की तरीख से 10 वर्ष तक मान्य होगा जिसने कंपनी एक्ट 2013 के तहत निजी कंपनी, लिमीटेड या सेक्शन 59 सोसायटी एक्ट 1932 या लिमिटेड लाइबिलिटी सझेदारी एक्ट 2008 के तहत पंजीयन किया हो तथा जिनका सालाना टर्न ओवर 100 करोड़ तक हो।